



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं००१..... की एरिया सभा संख्या १/१, १/२, १/३ के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, २००८ के प्रावधानों अनुसार दिनांक २३/०१/२६ को ११:०० बजे एरिया सभा की बैठक ~~व्यक्तिगत~~ ~~आस्था~~ ~~नगर~~ स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के १० प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव,

एरिया सभा संख्या १/१, १/२, १/३

वॉर्ड नं००१.....

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: २०/१/२६

पृ० क्रमांक mcr/omc/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या १/१, १/२ वॉर्ड नं००१..... सदस्य।

१/३

सचिव,

एरिया सभा संख्या ०१/१, ०१/२, ०१/३

वॉर्ड नं००१.....

नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

.....

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 02 की एरिया सभा संख्या 2/2/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22/01/26 को 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक Arbida Kz Community Centre स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव, Lamb
एरिया सभा संख्या 2/2/2
वॉर्ड नं० 2,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक: 20/01/2026

पृ० क्रमांक mc pl pml 2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त-। व ।।, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या 02 वॉर्ड नं० 2 सदस्य।

सचिव, Lamb
एरिया सभा संख्या 2/2/2
वॉर्ड नं० 2,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 03 की एरिया सभा संख्या 3/1, 3/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22-01-26 को 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक 31 जनवरी 2026 स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

Hemant Kumar
सचिव,

एरिया सभा संख्या 3/1, 3/2

वॉर्ड नं० 03,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: 20/1/26

पृ० क्रमांक mcr/omcr/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या 3/1, 3/2 वॉर्ड नं० 03 सदस्य।

Hemant Kumar
सचिव,

एरिया सभा संख्या 3/1, 3/2

वॉर्ड नं० 03,

नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

.....

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 4..... की एरिया सभा संख्या ५/१,५२ के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक २२.०१.२६ को १९:०० बजे एरिया सभा की बैठक श.रु.रु.पार्क स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

Vink
सचिव,
एरिया सभा संख्या ५/१, ५/२
वॉर्ड नं० 4.....,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक: २०/१/२६

पृ० क्रमांक mcrlomel 2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या ५/१, ५/२ वॉर्ड नं० 4..... सदस्य।

Vink
सचिव,
एरिया सभा संख्या ५/१, ५/२
वॉर्ड नं० 4.....,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

.....

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 5 की एरिया सभा संख्या 511, 512 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.01.2026 को 11.00 बजे एरिया सभा की बैठक दे.न. कालोनी पार्क स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

Aj 08

सचिव,

एरिया सभा संख्या 511, 512

वॉर्ड नं० 5,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: 20/1/20

पृ० क्रमांक me R / Dme / 2026 / 223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या 511, 512 वॉर्ड नं० 5 सदस्य।

Aj 08

सचिव,

एरिया सभा संख्या 511, 512

वॉर्ड नं० 5,

नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं०6..... की एरिया सभा संख्या 6/1, 6/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.11.26 को 11 AM बजे एरिया सभा की बैठक Community Center स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

At

सचिव,

एरिया सभा संख्या 10804

वॉर्ड नं० 6.....

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक 21/12/26

पृ० क्रमांक mcr/omc/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या..... वॉर्ड नं०..... सदस्य।

At

सचिव,

एरिया सभा संख्या 10804

वॉर्ड नं० 6.....

नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 7 की एरिया सभा संख्या 7/1, 7/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22/11/26 को 12 बजे एरिया सभा की बैठक Community Centre स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।



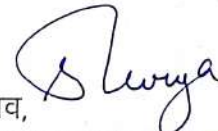
सचिव,
एरिया सभा संख्या 7/1, 7/2
वॉर्ड नं० 7,
नगर निगम, रोहतक।

पृ० क्रमांक MCR/OMC/2026/223-244

दिनांक: 20/11/26

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या..... वॉर्ड नं०..... सदस्य।



सचिव,
एरिया सभा संख्या 7/1, 7/2
वॉर्ड नं० 7,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक m.s. Rkr के वॉर्ड नं० 8 की एरिया सभा संख्या 8/1, 8/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22-01-26 को 11.00 AM बजे एरिया सभा की बैठक Community Center स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव,
एरिया सभा संख्या 8/1, 8/2
वॉर्ड नं० 8,
नगर निगम, रोहतक।

पृ० क्रमांक mcr/DMC/2026/223-244

दिनांक: 20/1/26

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या 8/1, 8/2 वॉर्ड नं० 8 सदस्य।

सचिव,
एरिया सभा संख्या 8/1, 8/2
वॉर्ड नं० 8,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं०१..... की एरिया सभा संख्या १/१, १/२, १/३ के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक २२/१/२०२६ को ११:०० AM बजे एरिया सभा की बैठक Arad Garh Community Centre स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

f Devender
सचिव,

एरिया सभा संख्या १/१, १/२, १/३

वॉर्ड नं० १.....

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: २०/१/२६

पृ० क्रमांक MC R/ DMC/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या..... वॉर्ड नं०..... सदस्य।

f Devender
सचिव,

एरिया सभा संख्या १/१, १/२, १/३

वॉर्ड नं० १.....

नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

.....

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 10 की एरिया सभा संख्या 10/1, 10/2, 10/3 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 23/01/2025 को 11:00 AM बजे एरिया सभा की बैठक Garkibahm Chawal स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव,

एरिया सभा संख्या 10/1, 10/2, 10/3

वॉर्ड नं० 10,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: 20/1/26

पृ० क्रमांक mcr/dmcr/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या..... वॉर्ड नं०..... सदस्य।

सचिव,

एरिया सभा संख्या 10/1, 10/2, 10/3

वॉर्ड नं० 10,

नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं०11..... की एरिया सभा संख्या 11/1, 11/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22/01/2024 को 11/1, 11/2 वजे एरिया सभा की बैठक.....Chandpur.....स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव, H. S. S. S.
एरिया सभा संख्या.....11/1, 11/2
वॉर्ड नं०.....11.....
नगर निगम, रोहतक।

पृ० क्रमांक mcr/ome/2024/223-244

दिनांक: 20/1/24

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या..... वॉर्ड नं०.....सदस्य।

सचिव, H. S. S. S.
एरिया सभा संख्या.....11/1, 11/2
वॉर्ड नं०.....11.....
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक M.C. Rohat के वॉर्ड नं० 12 की एरिया सभा संख्या 12/1, 12/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22/11/24 को 12 वजे एरिया सभा की बैठक Community Centre स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।


सचिव,
एरिया सभा संख्या 12/1, 12/2
वॉर्ड नं० 12,
नगर निगम, रोहतक।

पृ० क्रमांक mc R/OME/2026/223-244 दिनांक: 20/11/26
उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त-। व ।।, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या 12/1, 12/2 वॉर्ड नं० 12 सदस्य।

12/2


सचिव,
एरिया सभा संख्या 12/1, 12/2
वॉर्ड नं० 12,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 13 की एरिया सभा संख्या 13/1, 13/2, 13/3 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22/01/2026 को 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक Arya Samaj Dharamshala, Tilak Nagar स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव,

एरिया सभा संख्या 13/1, 13/2, 13/3

वॉर्ड नं० 13,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: 20/01/2026

पृ० क्रमांक mcr/pmc/2020/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या 13/1, 13/2, 13/3 वॉर्ड नं० 13 सदस्य।

सचिव,

एरिया सभा संख्या 13/1, 13/2, 13/3

वॉर्ड नं० 13,

नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 14 की एरिया सभा संख्या 14/1/14/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22/1/26 को 11 AM बजे एरिया सभा की बैठक Community Centre Model Town स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।


सचिव,
एरिया सभा संख्या 14/1/14/2
वॉर्ड नं० 14,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक: 20/1/26

पृ० क्रमांक mcr/10mcl/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या..... वॉर्ड नं०..... सदस्य।


सचिव,
एरिया सभा संख्या 14/1/14/2
वॉर्ड नं० 14,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं०15..... की एरिया सभा संख्या 15/1/12/3 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.01.26 को 12:00 बजे एरिया सभा की बैठक Sanat Shanti स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव,
एरिया सभा संख्या 15/1/2/3
वॉर्ड नं० 15,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक: 20/1/26

पृ० क्रमांक mcr/ome/2026/233-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या 15/1/2/3 वॉर्ड नं० 15 सदस्य।

सचिव,
एरिया सभा संख्या 15/1/2/3
वॉर्ड नं० 15,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक.....M.C. Rohatak के वॉर्ड नं० 16 की एरिया सभा संख्या 8255, 9241 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 23/01/26 को 12 वजे एरिया सभा की बैठक C./Center स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।


सचिव,

एरिया सभा संख्या.....8255, 9241

वॉर्ड नं०.....16.....

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: 20/1/26

पृ० क्रमांक mcr/mcr/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या..... वॉर्ड नं०..... सदस्य।


सचिव,

एरिया सभा संख्या.....8255, 9241

वॉर्ड नं०.....16.....

नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० की एरिया सभा संख्या 17/1, 17/2, 17/3 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22/01/2026 को 11:00 AM बजे एरिया सभा की बैठक..... स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव,
एरिया सभा संख्या.....17/1, 17/2, 17/3
वॉर्ड नं०.....17.....,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक: 20/1/26

पृ० क्रमांक mcr/omcr/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या 17/1, 17/2, 17/3 वॉर्ड नं०.....17.....सदस्य।

सचिव,
एरिया सभा संख्या.....17/1, 17/2, 17/3
वॉर्ड नं०.....17.....,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं०18..... की एरिया सभा संख्या 18/1, 18/2, 18/3 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 23/11/26 को 11.2.00 बजे एरिया सभा की बैठक.....स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

Rinki

सचिव,
एरिया सभा संख्या 18/1, 18/2, 18/3
वॉर्ड नं०.....18.....,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक: 20/11/26

पृ० क्रमांक MC/10MC/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या 18/1, 18/2, 18/3 वॉर्ड नं०.....18.....सदस्य।

18/3

Rinki

सचिव,
एरिया सभा संख्या 18/1, 18/2, 18/3
वॉर्ड नं०.....18.....,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 19..... की एरिया सभा संख्या 19/1, 19/2, 19/3 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22..... को 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक न्यू पार्क स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

Shankar

सचिव,

एरिया सभा संख्या 19/1, 19/2, 19/3

वॉर्ड नं० 19.....

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: 20/11/26

पृ० क्रमांक MCR/OMC/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या..... वॉर्ड नं० 19..... सदस्य।

19/1, 19/2, 19/3

Shankar

सचिव,

एरिया सभा संख्या 19/1, 19/2, 19/3

वॉर्ड नं० 19.....

नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

.....

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० ...२०..... की एरिया सभा संख्या २०/१, २०/२ के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, २००८ के प्रावधानों अनुसार दिनांक २२/१/२६ को १२ वजे एरिया सभा की बैठक Ambedkar Park, Jhansi Chauri स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के १० प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव,
 एरिया सभा संख्या २०/१, २०/२
 वॉर्ड नं० २०.....
 नगर निगम, रोहतक।
 दिनांक: २०/१/२६

पृ० क्रमांक mcrl/mc/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त-। व ।।, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या २०/१, वॉर्ड नं० २०..... सदस्य।

२०/२

सचिव,
 एरिया सभा संख्या २०/१, २०/२
 वॉर्ड नं० २०.....
 नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० 21..... की एरिया सभा संख्या 21/1, 21/2, 21/3 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22/01/26 को 11:00 AM बजे एरिया सभा की बैठक Community Center स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव, 21/1, 21/2, 21/3
एरिया सभा संख्या 21/1, 21/2, 21/3
वॉर्ड नं० 21.....,
नगर निगम, रोहतक।

पृ० क्रमांक MCR/DMC/2026/223-244

दिनांक: 20/1/26

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या..... वॉर्ड नं०..... सदस्य।

सचिव, 21/1, 21/2, 21/3
एरिया सभा संख्या 21/1, 21/2, 21/3
वॉर्ड नं० 21.....,
नगर निगम, रोहतक।



कार्यालय नगर निगम रोहतक

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा

नगर निगम, रोहतक..... के वॉर्ड नं० २२..... की एरिया सभा संख्या २२/१, २२/२ के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, २००८ के प्रावधानों अनुसार दिनांक २३/११/२०२६ को ११:०० बजे एरिया सभा की बैठक.....स्थान पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के १० प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- 1) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव,
एरिया सभा संख्या २२/१, २२/२
वॉर्ड नं० २२,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक: २०/११/२०२६

पृ० क्रमांक MCR/DMC/2026/223-244

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, रोहतक।
2. उपनिगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. संयुक्त आयुक्त- I व II, नगर निगम, रोहतक।
4. सभी एरिया सभा संख्या २२/१, २२/२ वॉर्ड नं० २२ सदस्य।

सचिव,
एरिया सभा संख्या २२/१, २२/२
वॉर्ड नं० २२,
नगर निगम, रोहतक।